




तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही, मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म को तामील में जारी हुए
	<p style="text-align: center;">अपील संख्या 631/2017 अनवान कैलाश वगैरा बनाम मदनलाल वगैरा</p> <p>दिनांक 10-5-2019</p> <p>वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत मिसल तलबी पर पत्रावली आज तारीख पेशी पर ली गई । वकील अपीलांट श्री मदललाल चौधरी एवं रेस्पो0 संख्या 1, 3 से 8 के अधिवक्ता श्री भूपतसिंह जोधा उपस्थित । अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 (2) सी.पी.सी. का बाबत रेस्पो0 संख्या 2 स्व. मांगूडी एवं रेस्पो0 संख्या 12 स्व. विनोद का नाम रेस्पो0 सूची से हटाने का पेश किया तथा उक्त अनुसार संशोधित अपील का मुखपृष्ठ भी पेश किया, उक्त प्रार्थना पत्रों की प्रति वकील रेस्पो0 संख्या 1, 3 से 8 को उपलब्ध कराई गई ।</p> <p>उभयपक्ष के अधिवक्ताओं ने एक राजीनामा जिस पर अपीलांट संख्या 20 मीठूराम तथा रेस्पो0 संख्या 1, 3 से 8 के हस्ताक्षर एवं अंगठा निशान किये हुए हैं जिनकी पहचान अपीलांट एवं रेस्पो0 के अधिवक्ताओं ने की है । उक्त राजीनामे के जरिये उभय पक्षकारान अपील का निस्तारण करवाना चाहते हैं । प्रस्तुत राजीनामों के पद संख्या 1 में इस प्रकार उल्लेख किया गया है "उपरोक्त अनवान में अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1, 3 से 8 के मध्य लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर व समाज के मौजिज व्यक्तियों की समझाईश से राजीनामा हो चुका है तथा मुताबिक राजीनामे के अनुसार रेस्पो0 संख्या 1, 3 से 8 तक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हैं तथा रेस्पो0 संख्या 8 (तहसीलदार भोपालगढ) द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26-3-15 तथा उक्त आदेश की पालना में स्वीकृत अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1496 दिनांक 24-5-2016 ग्राम गारासनी को अपास्त करवाने में सहमत है।" तथा उक्त राजीनामे की रूह में नामांतरकरण संख्या 1496 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार भोपालगढ को यह निर्देश पारित किया जाये कि मुनिया उर्फ मुन्नीराम पुत्र रामलाल मेहतर के वारिसान के नाम नामांतरकरण स्वीकृत किया जाये, बाबत सहमति प्रकट की है ।"</p> <p>इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 (2) सी.पी.सी. का बाबत रेस्पो0 संख्या 2 स्व. मांगूडी एवं रेस्पो0 संख्या 12 स्व. विनोद का नाम रेस्पो0 सूची से हटाने का स्वीकार किया जाता है तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत संशोधित अपील का मुखपृष्ठ रेकॉर्ड पर लिया जाता है ।</p>	<p style="text-align: right;">  (गणमिमन) के दि. 10.5.2019 का अधिवक्ता मीठूराम गुनार वरुण Add G for Respl no 1, 3 to 8 </p>



बति. सधमातीय म्युटेशन
जयपुर

तारीख हुकम	राजस्व अपील संख्या 631/17 हुकम या कार्यवाही, मय इनिशियन्स जज कल्याण पुरा वकाफ मदनलाल पुरा	नम्बर व तारीख अहकाम जा इस हुकम को तामील में जारी हुए
10/5/2019 	<p style="text-align: center;">- 2 -</p> <p>इस न्यायालय मे प्रस्तुत राजीनामे की रूह मे अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भोपालगढ द्वारा पारित आदेश क्रमांक राजस्व/15/219 दिनांक 26-3-15 एवं उसकी पालना मे स्वीकृत म्युटेशन संख्या 1496 ग्राम गरासनी को निरस्त किया जाता है तथा मूल राजीनामे का दस्तावेज तहसीलदार भोपालगढ को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान के बीच हुए राजीनामे की रूह मे पुनः विधिवत कार्यवाही करते हुए नये सिरे से म्युटेशन की कार्यवाही सम्पन्न करें । मूल राजीनामे का दस्तावेज इस निर्णय का अंग सुमार किया जाता है । राजीनामे के दस्तावेज की छायाप्रति रेकर्ड पर रखी जावे । पत्रावली फैसलसुमार होकर नंबर से कम हो । निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया ।</p> <p style="text-align: center;">  नति • सम्भागीय आयुक्त जोधपुर </p>	